



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpeefdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-13/2016- 603

दिनांक : 08.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन
प्रमंडल, गढ़वा/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन
प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल,
हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी
प्रमंडल, लातेहार/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में
कार्यान्वित की जाने वाली पुनर्नामित "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण
(पुरानी पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए
विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण, रैखिक वृक्षारोपण
एवं गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल
रु0 308.771 लाख (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-04/योबजट-26/2016-31/ स्वी0 व0प0
दिनांक 07.09.2016 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/योबजट-
26/2016-09/आ0 व0प0 दिनांक 04.04.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के
लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के
अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत प्राप्त आवंटन से कुल रु0 308.771
लाख (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन
निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789590103	241.017
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789590323	67.754
कुल :-		308.771

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क)** से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क)** से (ग) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी० 19S240601789590103 तथा पी० 19S240601789590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसका प्रमंडलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।



7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाये।
12. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—13 / 2016— 603

दिनांक— 08.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—13 / 2016— 603

दिनांक— 08.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा / कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर / कोषागार पदाधिकारी, चतरा / कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा / कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग / कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह / कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—13 / 2016— 603

दिनांक— 08.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची / उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” (पुरानी- पथरत रोपण-सह-शहरी वानिकी) योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बॉस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)


क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	बॉस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			321.86	91.50	413.36
i	ii	iii	vi	v	vi
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	5500	17.702	5.032	22.734
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	5500	17.702	5.032	22.734
3	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	6000	19.312	5.490	24.802
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	6000	19.312	5.490	24.802
5	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	7000	22.530	6.405	28.935
6	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	7000	22.530	6.405	28.935
7	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	7500	24.139	6.863	31.002
8	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	7500	24.139	6.863	31.002
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	5814	18.713	5.320	24.033
10	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	6118	19.692	5.598	25.290
योग :-		63932	205.771	58.498	264.269

अपर प्रधान मुख्य वन संचालक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” (पुरानी— पथरतट रोपण—सह—शहरी वानिकी) योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत रैखिक वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	रैखिक वृक्षारोपण (कि०मी०)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			90810.50	47450.00	138260.50
i	ii	iii	vi	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	7.50	6.811	3.559	10.370
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	7.50	6.811	3.559	10.370
योग :—		15.00	13.622	7.118	20.740



अपर प्रधान मुख्यमन्त्री सचिव, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” (पुरानी— पथरट रोपण—सह—शहरी वानिकी) योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेए)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			25440.73	2515.00	27955.73
i	ii	iii	vi	v	vi
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	45.00	11.448	1.132	12.580
2	साठवाठ प्रमण्डल, कोडरमा	40.00	10.176	1.006	11.182
योग :-		85.00	21.624	2.138	23.762

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस - गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6"

2. स्पेसिंग - पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी०

- पौधे से पौधे की दूरी - 8 मी०

मजदूरी दर - 229.90

प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति है०)	मजदूरी, (रु०)	सामग्री प्रति है०	कुल व्यय (रु०)	आभियुक्त
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) तीसरी वर्ष 2017-18 में समाप्त कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित		0.00	0.00	20.00	20.00	पौधों का क्रय विभागीय लम्बे पौधों की नरसी से किया जाएगा।
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं निश्चय बनाना ;बजि बालू, बजि वर्णित कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)		0.15	34.49	20.00	54.49	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)		0.10	22.99	2.00	24.99	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया०5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया०5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया०5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	34.49	4.50	38.99	
5	पटवान (रिक्षा / ठेला द्वारा)		0.50	114.95	25.00	139.95	
6	सुरक्षा		0.50	114.95	0.00	114.95	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग प्रति गैबियन		0.00	0.00	20.00	20.00	
कुल योग			1.40	321.86	91.50	413.36	

अपर प्रधान मुख्य वस संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राज्यी

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : कंटीले तार से घेरान के साथ पथतट रोपण (Multi Row with barbed wire fencing)

स्पेसिंग [पंक्ति से पंक्ति की दूरी—3 मी०
 पौधे से पौधे की दूरी—3 मी०
 प्रति कि०मी० पौधों की संख्या—2000 पौधे
 मजदूरी दर — 229.90 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
क वित्तीय वर्ष 2017-18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित @ Rs. 20 प्रति पौधा	2200 पौधा	0.00	44000.00	0.00	44000.00
2	पौधा रोपण	प्रति कि०मी०	45.00		10345.50	10345.50
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति कि०मी०	50.00	0.00	11495.00	11495.00
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि०मी०	120.00	0.00	27588.00	27588.00
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि०मी०	0.00	3150.00	0.00	3150.00
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति कि०मी०	0.00	300.00	0.00	300.00
7	पटवन, आवश्यकतानुसार		180.00	0.00	41382.00	41382.00
	योग :-		395.00	47450.00	90810.50	138260.50

अपर प्रभान मुख्य वन भरकाक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0


योजना का नाम— अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)

मजदूरी दर — 229.90 प्रति मानव दिवस

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	(वित्तीय वर्ष 2017-18 में सामग्री कार्य (हितोंश्व वर्ष))						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	4942.85	0.00	4942.85	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	8391.35	0.00	8391.35	
3	दो कोडनी एवं निकौनी	हे0	41.50	9540.85	0.00	9540.85	
4	ट्रैच के वर्ष पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	459.80	0.00	459.80	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	हे0	9.16	2105.88	0.00	2105.88	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)						
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			110.66	25440.73	2515.00	27955.73	



अपर प्रधान मुख्य वर्त सरकारी, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चातुर्विंशीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-13/2016/603

दिनांक -

08-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29104	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	1,770,200.00 रुपये स ब्रह्म लाख सत्तर हजार दो सौ
	State Scheme : Central Scheme :			
2	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29105	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV GARHWA	1,770,200.00 रुपये स ब्रह्म लाख सत्तर हजार दो सौ
	State Scheme : Central Scheme :			
3	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29107	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	2,612,300.00 रुपये छब्बीस लाख बारह हजार तीन सौ
	State Scheme : Central Scheme :			

योगः

कल्पिक योगः

ਰੁਪਧੇ ਝਕਕਸਟ ਲਾਖੇ ਬਾਬੜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਸੌਂ

ADDI.PB&PHBWA/NAPSI/HAND

Page 1 of 8


164.100.150.21

RANCH

Run Date


8/5/2017

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	29108	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	रुपये उन्नीस लाख इकतीस हजार दो सौ
5	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	29110	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	रुपये बाइस लाख तीरपन हजार
6	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	29111	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	रुपये बाइस लाख तीरपन हजार
योग: 6,437,200.00				
क्रमिक योग: 12,589,900.00				
<p>रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख नवासी हजार नौ सौ</p> <p> (SHRI SATNAM SINGH) ADDI.P.S.D.P.D.W.A.N.P.R.HAND</p> <p>Page 2 of 8 164.100.150.21 8/5/2017</p>				



RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	29113	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	2,413,900.00
8	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	29114	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	3,095,000.00
9	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	29115	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	1,871,300.00
योग: 7,380,200.00				
क्रमिक योग: 19,970,100.00				



(SHRI SATNAM SINGH)
ADDI.PB.PD.HANVARSHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुप्रूचित जातियों के लिए विशेष धरक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भरते 03 - मजदूरी	29116	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	1,969,200.00 रुपये उन्नीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ


State Scheme :

Central Scheme :

11	S 19 240601789590103	29117	GRDFOR003	1,144,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI JANARDAN PRASAD	रुपये ग्यारह लाख चवालीस हजार
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		KESHRI	आठ सौ
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		D.F.O. GIRIDIH WEST	
	01 - वेतन एवं भरते		FOR. DIV.	
	03 - मजदूरी			

State Scheme :

Central Scheme :

12	S 19 240601789590103	29118	KDMFORA02	1,017,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAMESH PRASAD	रुपये दस लाख स त्र ह हजार छः सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		KAMAL	
	59 - अधिमूलित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		D.F.O (S.F.) KODERMA	
	01 - वेतन एवं अन्य			
	03 - मजदूरी			

State Scheme :

Central Scheme :

योगः

क्रियिक योग-

रुपये दो करोड इकतालीस लाख एक हजार सत्ते सौ

4,131,600.00

24 101 700 00

(SHRI SATNAM SINGH)

DD1 DBARHMANI ABHISHEK

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789590323	29119	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	503,200.00 रुपये पॉच लाख तीन हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
14	S 19 240601789590323	29120	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV/GARHWA	503,200.00 रुपये पॉच लाख तीन हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
15	S 19 240601789590323	29121	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	904,900.00 रुपये नौ लाख चार हजार नौ सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
State Scheme : Central Scheme :				
योग: 1,911,300.00				
क्रमिक योग: 26,013,000.00				
 (SHRI SATNAM SINGH ADDI.P. BOPDEWANARSHAND RANCHI B.S.M)				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789590323	29123	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	549,000.00 रुपये पाँच लाख उनचास हजार
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
				
17	S 19 240601789590323	29124	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	640,500.00 रुपये छ: लाख चालीस हजार पाँच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
18	S 19 240601789590323	29126	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	640,500.00 रुपये छ: लाख चालीस हजार पाँच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
योग:				1,830,000.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड अठहत्तर लाख तीरयालीस हजार			27,843,000.00



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.POD.DIV.WANNAHANH

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29127	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	686,300.00
20	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29128	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	1,042,200.00
21	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29129	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	532,000.00
State Scheme : Central Scheme :				
योग: 2,260,500.00				
क्रमिक योग: 30,103,500.00				
 (SHRI SATNAM SINGH) ADDI.P.O. SHIVDANWAR SHAND				
Page 7 of 8 164,100,150.21 RANCHI Run Date: 8/5/2017				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601789590323	29130	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	559,800.00 रुपये पाँच लाख उनसठ हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
23	S 19 240601789590323	29131	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	113,200.00 रुपये एक लाख तेरह हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
24	S 19 240601789590323	29132	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	100,600.00 रुपये एक लाख छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
योग:				773,600.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड आठ लाख सित्यात्तर हजार एक सौ			30,877,100.00
			 (SHRI SATNAM SINGH) ADDI.PSDP/PM/VA/AF/SHAND	
Page 8 of 8	164.100.150.21	B.R.	Run Date: 8/5/2017	